न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

मंगलचंद बनाम रामदेव

किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं० .... वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-3-21	अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के आदेश का फायदा उठाकर रेस्पोडेंट विवादित भूमि को बेचान करने पर आमादा है। अत स्थगन स्वीकार किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश धारा 212 के आवेदन संख्या 58/2021 में प्रस्तुत आवेदन स्थगन में पारित किया गया है। मूल आवेदन धारा 212 विचारण न्यायालय में लम्बित है। चूकिं प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व है। ऐसी अपील इस स्तर पर पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य पाई जाती है उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	